कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 661/ओबरा/33 वन्दो0 **दिनांक, 07/09/2021.**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

विषयः– पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकाड़ी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले 15.567हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ ROAD/117639/2021)

सन्दर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक–1031/यू0पी0/67145–पी0एम0जी0एस0वाई0/2021 दिनांक–12.07.2021.

महोदय,

अगवत कराना है कि आपके कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकाड़ी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले वन भूमि 15.567हे0 के सापेक्ष कोन रेंज के अन्तर्गत ग्राम–कुड़वा में आराजी गाटा संख्या 1502/01 रकवा 15.5670हे0 गैर वन भूमि प्रस्तावित किया गया है। उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि ग्राम–कुड़वा के आराजी गाटा संख्या 1502/1 रकवा 15.5670हे0 क्षेत्र का अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 4 में विज्ञापित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में प्रभावित होने वाले वन भूमि 15.567हे0 के सापेक्ष, 15.567हे0 गैर वन भूमि अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया गया जा सके।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।